# झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
**भूतल, कल्याण कॉम्पलेक्स, (अवस्थित प्रशिक्षण भवन), बलिहार रोड, मोराबादी, राँची–834008**
**फोन–0651–2552055 / 0651–3596445, ई–मेलः jsmfdc.ranchi@gmail.com**
**CIN : U93000JH2012NPL000264**

पत्रांक –................ राँची, दिनांक–......................,

प्रेषक,
भीष्म कुमार, भा० प्र० से०,
प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राँची।

सेवा में,
जिला कल्याण पदाधिकारी,
चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)।

**विषयः–Due Diligence Report के संबंध में।**

प्रसंगः– जिला कल्याण कार्यालय, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) का पत्रांक–215 दिनांक–08.08.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मामले में प्रासंगिक पत्र द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के चयनित लाभार्थियों द्वारा समर्पित Due Diligence Report प्रेषित करते हुए उक्त Report के सम्बंध में दिशा–निर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

कल्याण विभागीय संकल्प संख्या–2563, दिनांक–26.08.2022 के कंडिका–13(viii) में निदेशित है कि 50001/–रू० से अधिक के ऋण हेतु योजना का प्रस्ताव देना होगा। योजना के प्रस्ताव में आवेदक द्वारा यह साझा करना अनिवार्य होगा कि उनके व्यवसाय में प्रति 1.50 लाख रुपये के निवेश से कितना रोजगार सृजन हो रहा है। संकल्प में वर्णित निर्देश के अनुपालन में आवश्यक होगा कि योजना के Project Report के आधार पर Due Diligence Report तैयार कराने हेतु C.A.(Charter Accountant) की सहायता/परामर्श लिया जायेगा, जिसमें निम्न वर्णित बिन्दुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक होगा :–

- जिला कल्याण पदाधिकारी RBI/NABARD/SIDBI/PMRY/DRDA द्वारा निर्गत नियमावली का अनुसरण करते हुए आवेदक को राशि स्वीकृत अथवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जा सकता है।
- योजना के Due Diligence Report हेतु जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारियों से भी अपेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सकता है।
- 10 लाख से ऊपर के ऋण की राशि पर योजना प्रस्ताव में Fixed Asset एवं कार्यशील पूँजी का Ratio 75:25 एवं Service Sector में Ratio 50:50 का होना चाहिए।
- योजना के प्रस्ताव तैयार करने के क्रम में लाभार्थी का स्थायी पता एवं व्यवसाय आदि के सम्बंध में स्थानीय लोगों से भी जानकारी/पूछ–ताछ किया जाना श्रेष्कर होगा।
- लाभार्थी का KYC Report यथा – पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी पता आदि की पूर्ण एवं सही रिकार्ड उपलब्ध किया जाय। इससे भविष्य में ऋण की राशि की वसूली में सुविधा होगी।
- लाभार्थी के ऋण खाते का पूर्ण विवरण Statement of A/c प्राप्त किया जाये।

अतः उपरोक्त के आलोक में Due Diligence Report तैयार कर अथवा प्राप्त कर लाभार्थी के ऋण की राशि को स्वीकृत करने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी स्वयं ही सक्षम है।

विश्वासभाजन

ह०/–

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः–288 राँची, दिनांकः–15.9.2022

प्रतिलिपिः–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

15/9/2022